SDO प्रा. पत्र प्र. सं. 418/2022 Online No. 2022/588

मैं. रुपेन्द्र स्टोन / उगम चन्द व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/3/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
29/3/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त शामिल फाईल किये गये विपक्षी सं. 1, 3, 4, 5, को आवाज लगाई गई अनुपस्थित विपक्षी सं. 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत विपक्षीगण को एक अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 25/4/23 को पेश हो।	
25/4/23	पत्रावली पैश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक हडताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 महंगाई राहत केम्प ग्रा.पं. में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/6/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
13/6/23	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता, उप./ अधिवक्ता विपक्षी सं. 2, 6, 7 उपस्थित, जवाब पेश नहीं, जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। विपक्षी सं. 1, 3, 4, 5 अनुपस्थित बार-बार आवाज लगाई गई अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण की ओर से बहस सुनी गई, प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर निर्णय पृथक से किया गया बाद तामील शामिल फाईल किया गया, तकमील शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
418/2022	03.11.2022	13.06.2023

अनवान

1. मैसर्स एपेक्स स्टोन माईनिंग्स प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर नीरज पुत्र श्री हरिकृष्णा, जाति मानसिंहका, निवासी पुषा निवास, भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थी

बनाम

1. उगम चन्द पुत्र किशन लाल विश्नोई,
2. गौरी लाल पुत्र श्री किशन लाल देवड़ा जाति विश्नोई,
3. श्रीमती कमला पत्नी श्री श्याम लाल ब्राह्मण,
4. गणपत लाल पुत्र श्री इन्द्रमल ब्राह्मण,
5. रविशंकर पुत्र श्री इन्द्रमल ब्राह्मण,
   निवासीगण पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
6. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा–राज0
7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा–राज0
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा–राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत – प्रार्थी
अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन – विपक्षी सं. 2
अधिवक्ता श्री आर.एल. जाट – विपक्षी सं. 6
अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र बापना, महेन्द्र बापना – विपक्षी सं. 7
एक तरफा– विपक्षी सं. 1, 3, 4, 5

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर प्रथम, भू.अ.नि. क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के नये खाता संख्या 2069 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 8337 रकबा 0.4932 है0, आराजी सं. 8338 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 8339 रकबा 0.8219 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 है0 भूमि प्रार्थी कंपनी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी कंपनी काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चला आ रहा है। विपक्षीगण प्रार्थी कंपनी के उपरोक्त वर्णित आराजियात के पड़ौसी हैं, जिससे मेड़ पाली की घास काटने, फसल काश्त कराने हेतु संज बैल आदि लाने–ले जाने, हंकाई करने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने–ले जाने आदि के बारे में प्रार्थी कंपनी एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी अपनी आराजियात आराजी संख्या 8337 रकबा 0.4932 है0, आराजी सं. 8338 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 8339 रकबा 0.8219 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 है0 की पत्थरगढ़ी प्राजेक्टर मशीन (जी.पी.एस.) से कराई जाकर मौके पर स्थायी सीमा चिंह्न घोषित कराना चाहता है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2, 6, 7 की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें जवाब हेतु अवसर दिया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थी सं. 2, 6, 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 5 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 5 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर प्रथम, भू.अ.नि. क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के नये खाता संख्या 2069 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 8337 रकबा 0.4932 है0, आराजी सं. 8338 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 8339 रकबा 0.8219 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) क़िया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा